न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कॉर्पोरेशन बैंक मॉ टॉवर पुराना महता सदन नया बस स्टेण्ड के पास जालोर		1.मैसर्स आनन्द ग्रानी मारमो पता:- प्लॉट नंबर 16 मदलपुरा गॉव भागली सिधलान जालोर 343001 2.श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री महेशचंद शर्मा पता:-प्लॉट नंबर 16 मदलपुरा गॉव भागली सिधलान, जालोर पता 2-गांव सखुन,तहसील दुदू जयपुर 303008 3.श्री अभिपेक मुरलीधर शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा पता:-प्लॉट नंबर 16 मदलपुरा गॉव भागली सिधलान जालोर दूसरा पता:- प्लॉट नंबर 379 प्लेट नंबर 204 काला गणपती के पिछे, ई सेक्टर औरगांबाद महाराष्ट 431003 4.श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री ख्यालीराम शर्मा पता:-प्लॉट नंबर 16 मदलपुरा गॉव भागली सिधलान जालोर 343001 दूसरा पता:- प्लॉट नंबर 2 विजयवाडी पथ नंबर 4 सीकर रोड जयपुर 303013 5.मुरलीधर शर्मा पुत्र श्री आनन्दी लाल शर्मा पता:गॉव पोस्ट बैन्सलाना तहसील सॉभर जयपुर 303604 दूसरा पता:-प्लॉट नंबर 379 प्लेट नंबर 204 काला गणपती के पिछे, ई सेक्टर औरगांबाद महाराष्ट 431003

विविध प्रकरण संख्या 04/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

अधिवक्ता:-श्रीभागचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक:- 31.01.2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि बैंक ने ऋणी मैसर्स आनन्द ग्रानी मारमो,पता:-प्लॉट नबंर 16 मदलपुरा गॉव,भागली सिधलान,जालोर 343001 दिनांक 09.11.2012 को रूपये 49,40,000/-की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी।

उक्त ऋण राशि निम्न प्रतिभूति से रक्षित है बंधक अचल औधोगिक भूमि व भवन खसरा नंबर 880/122 मदलपुरा,जालोर (क्षेत्रफल 3093 वर्ग मीटर)स्वामित्व श्री संजीव कुमार शर्मा व श्री शंकरलाल शर्मा का करार कर ऋण की अदाएगी हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निस्पादित किये थे।जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न है।ऋण पर ब्याज एवं अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है, ऋणी द्वारा ब्याज एवं ऋण को चुकाने में असफल रहने पर उनका खाता दिनांक 09.04.2019 को (एन.पी.ए.)NPA वर्गीकृत किया गया था।बैक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 24.07.2019 को मांग नोटिस सिक्यूरिटाइजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002) की धारा 13(2)के अन्तर्गत दिया था जिसमें 60 दिवस में 20,55,662.60/-रूपये एवं दिनांक 23.07.2019 तक ब्याज मांग की थी।ऋणी /जमानतदार 60 दिवस में उल्लेखित राशि अदा करने में असफल रहे है। बैक को उक्त बकाया राशि (ब्याज व खर्चे अतिरिक्त)ऋणी/जमानतदार से वसूल करना है।बकाया राशि को वसुल करने हेतु प्रतिभूति का भौतिक कब्जा लेकर विक्रय करना है।श्रीमान को सिक्यूरिटाइजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002) की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति सम्पति को कब्जे या नियंत्रण में लेकर बैक को सुपुर्द करने के अधिकार प्राप्त है। धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने के प्रावधान इस प्रकार है:-(1) where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured asset is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of the act, the secured creditor may for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request in writing, the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found, to take possesion thereof. and the chief metropolitan magistrate or, as the case may be, the district magistrate shall, on such request being made to him

(a) take possession of such asset and documents relating thereto,and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) for the purpose of securing compliance with the provisions of sub - sec.(1) the Chief Metropolitan Mangistrate of tha District Magisate may take or cause to be taken such steps and use, or cause be used, such force, as may in his opinion be necessary

(3)No act of the chief Metropolitan Mangistrate or the District Magisate done in pursuance of this sec. shall be called in question in any court or before any authority

अत: सम्पति का भौतिक कब्जा दिलवाने की कृपा करे,जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार 20,55,662.60/-रूपये एवं दिनांक 23.07.2019 के बाद का ब्याज बकाया राशि की वसूली सम्पति को विक्रय करके की जा सके।

पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैक से 49,40,000/-रूपये का ऋण/ सुविधा स्वीकृत किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा ऋण वसूली के लिये नियमानुसार धारा 13(2) के तहत् 24.07.2019 को समस्त प्रतिवादी को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में 20,55,662,60/- (अक्षरे बीस लाख पचपन हजार छ सौ बासठ रूपये साठ पैसे मात्र) दिनांक 24.07.2019 तक का ब्याज सम्मिलित है। प्रतिवादियो ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बावजुद प्रार्थी बैक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है।

—Sd/-

वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।जो इस प्रकार है:-(1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा। (2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक,जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपतियो, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर को निर्देशित करे कि वे उपयुक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे।आदेश सुनाया गया।

—Sd—

(महेन्द्र सोनी)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जालोर